प्रवेश विवरणिका

राजस्थान के समस्त सह-शिक्षा एवं महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों के द्वितीय वर्ष डिप्लोमा इन्जीनियरिंग(पार्श्व प्रवेश) पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये ऑन-लाईन आवेदन

सत्र 2025-26

सेंटर फॉर ई गवर्नेंस, जयपुर

Near Govt. R.C. Khaitan Polytechnic College, Jhalana DoongriJaipur- 302004, Ph:-2702344, Email: directorceg@gmail.com

सेन्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस (CEG),जयपुर

राजस्थान के समस्त सह-शिक्षा एवं महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों के

द्वितीय वर्ष डिप्लोमा इन्जीनियरिंग (पार्श्व प्रवेश) पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये ऑन-लाईन आवेदन पत्र भरने हेतु विवरणिका (सत्र 2025-26)

संदर्भ सूची (Index)

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	प्रस्तावना	1
2.	प्रवेश के लिये सामान्य सूचना एवं आवेदन प्रक्रिया	1-2
3.	आवेदन पत्रों की जाँच	2
4.	प्रवेश के लिये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	2
5.	आयु सीमा	3
6.	प्रवेश में प्राथमिकता की श्रेणी	3
7.	योग्यता सूची (Merit List)	3 -4
8.	पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु सीट आवंटन के लिए प्रक्रिया एवं दौर (Round)	5
9.	प्रवेश में आरक्षण के प्रावधानों का विवरण	5-8
10.	प्रथम आवंटन	8
11.	रिर्पोटिंग करने की प्रक्रिया:	8 -9
12.	अपवर्ड मूवमेन्ट हेतु आवेदन करना	9
13.	द्वितीय आवंटन	9
14.	अंतिम आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्ट करना	9
15.	इन्टरनल स्लाईडिंग	9 -10
16.	संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश	10
17.	अन्य सामान्य अनुदेश	10 -11
18.	छात्रावास की सुविधा एवं शुल्क	11
19.	सारणी-1: नोडल केन्द्रों की सूची	12
20.	सारणी-2: डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु शुल्क (रुपयों में)	13
21.	सारणी-3: छात्रावास शुल्क	14
22.	सारणी-4: 10+2 उतीर्ण आवेदक हेतु ब्रांच विशेष के लिए आवश्यक अनिवार्य विषय	15

परिशिष्टों का विवरण (इनके प्रारूप एक पृथक लिंक द्वारा पोर्टल से **डाउनलोड किए जा सकते हैं)**

परिशिष्ट I	शिक्षण शुल्क में छूट प्राप्त करने के लिये प्रमाण पत्र का प्रारुप
परिशिष्ट II	राज्य कर्मचारी पर आश्रित भाई/बहिन के लिए शिक्षण शुल्क में छूट प्राप्त करने के लिये प्रमाण पत्र का प्रारुप
परिशिष्ट III	नॉन क्रीमी लेयर संबंधी शपथ पत्र का प्रारूप
परिशिष्ट IV	आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS) संबंधी शपथ पत्र का प्रारूप
परिशिष्ट V	सैनिकों के आश्रितों द्वारा दिया जाने वाला प्रमाण पत्र
परिशिष्ट VI	एकल महिला (विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा/35 वर्ष ज्यादा उम्र की अविवाहिता) की आश्रितों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले शपथ पत्र का प्रारूप
परिशिष्ट VII	शिक्षण शुल्क मुक्ति योजना (TFWS) के लिए आय के प्रमाण पत्र का प्रारूप
परिशिष्ट VIII	प्रव्रजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate) प्रस्तुत नहीं करने बाबत घोषणा पत्र का प्रारूप
परिशिष्ट IX	आय का घोषणा पत्र का प्रारूप
परिशिष्ट X	SC/ST/Non Creamy Layer OBC/MBC हेतु प्रमाण पत्र का प्रारूप
परिशिष्ट XI	नाम व उपनाम में अंतर होने बाबत शपथ पत्र का प्रारूप

1. प्रस्तावना:

राज्य में वर्तमान में लगभग कुल 116 पॉलिटेक्निक महाविद्यालय संचालित हैं जिनकी कुल प्रवेश क्षमता लगभग 22238 विद्यार्थी हैं। इनमें से 47 पॉलिटेक्निक महाविद्यालय राजकीय क्षेत्र में तथा 01 केन्द्र सरकार संस्थान एवं 68 पॉलिटेक्निक महाविद्यालय निजी क्षेत्र में संचालित है। निजी क्षेत्र में संचालित पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में से 05 पॉलिटेक्निक महाविद्यालय निजी सावर्जनिक सहभागिता योजना (PPP) के अन्तर्गत संचालित हैं, जिनकी कुल प्रवेश क्षमता 777 विधार्थी है। इन समस्त पॉलिटेक्निक महाविधालयों को पाठ्यक्रम संचालन की अनुमति अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (AICTE), नई दिल्ली द्वारा दी जाती है एवं प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर द्वारा संबद्धता प्रदान की जाती है।

डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को पूर्ण करने के पश्चात अभ्यर्थी सरकारी एवं निजी क्षेत्र में रोजगार पा सकता है एवं उच्च अध्ययन के लिये इन्जीनियरिंग डिग्री पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष में प्रवेश के लिये योग्य हो जाता है। डिप्लोमा अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के रोजगार के लिये इन्डस्ट्री-इन्स्टीट्यूट इन्टरेक्शन सैल के माध्यम से निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित कम्पनियों में केम्पस प्लेसमेंट के द्वारा भी रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है।

लार्सन एण्ड टुब्रो, एस्सार, जे.एस.डब्ल्यू, एच.सी.एल., डेन्सो, महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा, आयशर, होण्डा, हीरो, जे. सी. बी., सुजलोन , हिटाची, डाईकन, हीरोकार्प, पोनवेल, टाटा पॉवर, बी.के. टी., वडंर सीमेंट, अल्ट्राटेक, बिरला, एल.एम.जे., मारुति इत्यादि अनेक कम्पनियां केम्पस प्लेसमेन्ट में भाग लेती हैं।

इस विवरणिका में सह-शिक्षा एवं महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में संचालित डिप्लोमा इन्जीनियरिगं पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये ऑन-लाईन आवेदन करने के विस्तृत दिशा-निर्देश, प्रवेश प्रक्रिया एव नियमों का समावेश किया गया है। आवेदक इस विवरणिका का भली भांति अध्ययन कर आवेदन करें।

प्रदेश के 23 राजकीय सह शिक्षा व महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में छात्राओं हेतु अलग से छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। राज्य सरकार द्वारा प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित अन्य कोई भी आदेश जारी करने पर वह तुरन्त प्रभाव से इस प्रक्रिया पर लागू किया जा सकेगा यथा संस्थानों की संख्या, सीटों की संख्या, आरक्षण के प्रावधान, सामान्य नियम इत्यादि।

2. प्रवेश के लिये सामान्य सूचना एवं आवदेन प्रक्रिया:

2.1 डिप्लोमा इन्जीनियरिंग पाठ्यक्रमों के **तृतीय सेमेस्टर (द्वितीय वर्ष)** में प्रवेश हेतु नोडल एजेन्सी **"सेन्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस (CEG)", झालाना डूंगरी, जयपुर** है।

पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों के विभिन्न इंजीनियरिंग डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की निर्धारित प्रवेश क्षमता की अन्तरिम सूची (सीट मेट्रिक्स) कौशल दर्पण पोर्टल , BTER पोर्टल एवं CEG पोर्टल पर उपलब्ध है। इन प्रवेश स्थानों की संख्या में बिना पूर्व सूचना के कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है। सत्र 2025-26 में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित, प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर से सम्बद्धता प्राप्त संस्थानों की ब्रान्च व प्रवेश क्षमता के अनुसार ही प्रवेश दिया जायेगा। प्रवेश स्थानों की नवीनतम जानकारी विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध रहेगी।

कौशल दर्पण पोर्टल पर ऑनलाईन ऑप्शन फार्म में संस्था व ब्रान्च का कोड भरने से पूर्व अभ्यर्थी विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध नवीनतम जानकारी प्राप्त करें। तदुपरान्त ही ऑनलाईन ऑप्शन फार्म में प्रविष्टियां करे |

राज्य में स्थित विभिन्न राजकीय एवं निजी पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में डिप्लोमा पाठ्यक्रम सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली के आधार पर संचालित होंगी। राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में राज्य पोषित एवं स्व-वित्तपोषित योजना के तहत स्वीकृत स्थानों पर प्रवेश किये जा रहे है। इनमें अध्ययन हेतु दिये जाने वाले शुल्क का विवरण सारणी - 2 पर उपलब्ध है।। तृतीय सेमेस्टर (द्वितीय वर्ष) में प्रवेशित छात्रों के लिए डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की अवधि दो वर्ष की है एवं शुल्क प्रति वर्ष लिया जाएगा। पात्र अभ्यर्थियों को शिक्षण शुल्क में मिलने वाली छूट के लिये निर्धारित प्रारुप, परिशिष्ट-I एवं II पर उपलब्ध है।

2.2 आवेदन करना:- कौशल दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन पत्र एवं आप्शन फार्म भरने हेतु विस्तृत प्रक्रिया इस विवरणिका के अंत में उपलब्ध है। डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदन मय विकल्प पत्र शुल्क रूपये 354 /- (तीन सौ चौवन रूपये) जी.एस.टी. सहित रखा गया है। आवेदन शुल्क एक बार जमा किये जाने के पश्चात ना तो वापस किया जायेगा ना ही भविष्य में किसी भी काउंसलिंग प्रक्रिया में समायोजित किया जायेगा।

3. आवेदन पत्रों की जांच:

आवेदन पत्रों की जाँच उपरांत आवेदक को एस.एम.एस. द्वारा या पोर्टल पर आवेदन पत्र में रही कमियों (यदि कोई हो तो) से अवगत कराया जायेगा। आवेदक को इन कमियों को कौशल दर्पण पोर्टल पर log-in कर दूर करना है तथा जरुरत होने पर आवश्यक प्रमाण पत्र /दस्तावेज पुनःअपलोड करने है। यदि आवेदक के प्रमाण पत्रों में कमी की वजह से आवेदन पत्र अपूर्ण रहता है तो संयोजक द्वारा वह आवेदन पत्र रद्द किया जा सकता है।

4. प्रवेश के लिये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता:

- 10 वीं के बाद 2 वर्षीय ITI उत्तीर्ण अभ्यर्थी किसी भी ब्रांच में प्रवेश योग्य है |
- (10+2) परीक्षा पास अभ्यर्थी उसके द्वारा पास किए गए विषयों के आधार पर विशिष्ट ब्रांच में प्रवेश योग्य हैं | ब्रांच विशेष के लिए आवश्यक अनिवार्य विषय सारणी-4 में वर्णित हैं |
- 10 + 1 वर्षीय वोकेशनल डिप्लोमा (C. Voc.) या 3.5 स्तर का समकक्ष वोकेशनल प्रशिक्षण पास अभ्यर्थी किसी भी ब्रांच में प्रवेश योग्य है |
- डिप्लोमा (इंजीनियरिंग) पास अभ्यर्थी किसी भी ब्रांच में प्रवेश योग्य है |

नोट :

*** छात्र जो कि विविध पृष्ठभूमि से आते है उन्हें प्राविधिक शिक्षा मंडल ,जोधपुर द्वारा निर्धारित किये गए Bridge Courses का अध्ययन एवं परीक्षा उतीर्ण करनी होगी**

* अन्य बोर्ड की परीक्षाओं की समकक्षता का निर्धारण राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर की नवीनतम अनुदेशिका-2020 (वेब साईट लिंक https://rajeduboard.rajasthan.gov.in/anudeshika-etc/Anudeshika-2020.pdf) के अनुसार किया जायेगा।

5. आयु सीमा: प्रवेश हेतु अभ्यर्थी की कोई आयु सीमा नही है |

6. प्रवेश में प्राथमिकता की श्रेणी:

द्वितीय वर्ष में प्रवेश के लिए योग्यता सूची जारी करने हेतु प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार रहेगा -

6. 1 प्रथम प्राथमिकता श्रेणी (Preferential category 1):

- आवेदक ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान / केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की माध्यमिक परीक्षा एवं उच्च माध्यमिक परीक्षा राजस्थान में स्थित किसी स्कूल से नियमित अध्ययन कर उत्तीर्ण की हो |
- आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो |
- आवेदक राजस्थान सरकार के कर्मचारी की संतान /Spouse हो ।
- आवेदक राजस्थान राज्य के बोर्ड, कार्पोरेशन, विश्वविद्यालय तथा भारत सरकार या उसके उपक्रम के कर्मचारी की संतान /Spouse जिनका पदस्थापन राजस्थान मे स्थित कार्यालय मे हो
- आवेदक ने प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर से डिप्लोमा प्राप्त किया हो |
- आवेदक ने राजस्थान के किसी भी विद्यालय से दसवीं कक्षा उतीर्ण करने के पश्चात प्राविधिक शिक्षा निदेशालय (प्रशिक्षण) राजस्थान, जोधपुर के प्रशासनिक नियंत्रण वाले औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से राष्ट्रीय/राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (NCVT/SCVT) से सम्बद्धता प्राप्त दो वर्षीय इंजीनियरिंग व्यवसायों में आई.टी.आई. या राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र धारक या सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स अथवा समकक्ष परीक्षा पास की हो |

6.2 द्वितीय प्राथमिकता श्रेणी (Preferential category- 2):

- Preferential category 1 के अतिरिक्त अन्य समस्त सभी आवेदक, जो राजस्थान के मूल निवासी नही हैं, वे Preferential category- 2 में सम्मिलित होंगे ।

Preferential category 1 की श्रेणीवार योग्यता सूची बनाई जाएगी तथा Preferential category- 2 के आवेदकों को इस योग्यता सूची के अन्त में (अनारक्षित श्रेणी का मानते हुए) स्थान दिया जाएगा |

7. योग्यता सूची (Merit List) बनाया जाना :-

डिप्लोमा(इंजीनियरिंग) के द्वितीय वर्ष में पार्श्व प्रवेश हेतु योग्यता सूची अर्हक (Qualifying) परीक्षा में प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर बनाई जाएगी | अर्हक परीक्षाओं के निम्न वरीयता क्रम में योग्यता सूची बनाई जाएगी |

(1) डिप्लोमा इंजीनियरिंग

(2) 10 वीं + 1 वर्षीय डिप्लोमा (C. Voc.) या 3.5 स्तर का समकक्ष वोकेशनल प्रशिक्षण

(3) 10 वीं + 2 वर्षीय आई. टी. आई. (NCVT/SCVT) या राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र धारक या सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस या समकक्ष

(4) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान या सी. बी. एस. ई. , नई दिल्ली से उच्च माध्यमिक (10+2) परीक्षा या मान्यता प्राप्त ओपन स्कूल से (10+2) परीक्षा पास करने वाले राजस्थान के मूल निवासी

- केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/काउन्सिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट (C.I.S.C.) / इंडियन काउन्सिल फॉर सैकण्डरी एज्युकेशन (I.C.S.E.) से 12 वीं (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की अकं तालिका में अंकित सभी विषयों के योग के प्रतिशत के आधार पर योग्यता क्रमांक निर्धारित किया जायेगा ।
- उच्च माध्यमिक परीक्षा / डिप्लोमा (इंजीनियरिंग) में CGPA/GPA प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के अंको की गणना का फार्मूला (CGPA/GPA * 9.5) होगा |
- प्राविधिक शिक्षा मण्डल, जोधपुर से डिप्लोमा परीक्षा में CGPA/GPA प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के अंको की गणना का फार्मूला (CGPA/GPA *10 - 5) होगा |
- पूरक परीक्षा से उत्तीर्ण होने अथवा अंक सुधार की स्थिति में बोर्ड द्वारा जारी अंतिम अंकतालिका के प्राप्तांकों के आधार पर योग्यता क्रमांक का निर्धारण किया जायेगा।
- सी. बी. एस. ई. , नई दिल्ली से उच्च माध्यमिक (10+2) परीक्षा उतीर्ण (PASS) अभ्यर्थी के आवश्यक अनिवार्य विषय में FT (FAIL IN THEORY) या FP (FAIL IN PRACTICAL) लिखा हो तो अभ्यर्थी सारणी -4 में वर्णित उस विशिष्ट ब्रांच में प्रवेश लेने के लिए पात्र नहीं होगा |
- अगर एक से अधिक आवेदकों के प्राप्तांक प्रतिशत बराबर हो तब पहले जन्म तिथि (अधिक उम्र) वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जायेगी तदुपरांत पहले आवेदन करने वाले (जिसका आवेदन क्रमांक कम है) को प्राथमिकता दी जाएगी |
- उपरोक्त प्राथमिकताओं के दृष्टिगत, प्रत्येक श्रेणी का योग्यता क्रमांक निर्धारित किया जायेगा। अस्थाई मेरिट सूची कौशल दर्पण पोर्टल, CEG पोर्टल एवं DTE पोर्टल पर प्रकाशित कर दी जाएगी | यदि किसी अभ्यर्थी को कोई संशय हो तो निर्धारित तिथि तक पोर्टल पर दिए गए लिंक के माध्यम से संयोजक को अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकेगा | समस्त आपत्तियों के निराकरण के उपरांत ही अंतिम मेरिट सूची प्रकाशित की जाएगी |

8. पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु सीट आवंटन के लिए प्रक्रिया एवं दौर (Round)

प्रणाली	**दौर (Round)**	**प्रवेश प्रक्रिया का विवरण**
केन्द्रीय प्रवेश	प्रथम दौर	• दिव्यांग जन (PH), एकल महिला आश्रित (SM) , तलाकशुदा / परित्यक्ता, सैनिकों के आश्रित (MP) को क्षैतिज आरक्षण देते हुए तथा GENERAL, SC, ST, OBC, MBC एवं EWS को ऊर्ध्वाधर आरक्षण देते हुए सीट आवंटन (प्रथम आवंटन) • कश्मीरी प्रवासी (KM) आवंटन • TFWS आवंटन • OCI आवंटन • प्रथम आवंटन के पश्चात नोडल केंद्र पर दस्तावेज जांच एवं रिपोर्टिंग फीस 1000/- जमा करना • रिपोर्टिंग के साथ ही अपवर्ड मूवमेंट हेतु आवेदन (ऐच्छिक)
	द्वितीय दौर	• प्रथम दौर में रिपोर्टिंग के पश्चात अपवर्ड मूवमेन्ट हेतु आवेदन करने वाले आवेदकों को सीट आवंटन (द्वितीय आवंटन) • प्रथम दौर में रिपोर्टिंग के दौरान दस्तावेज जांच के आधार पर मेरिट परिवर्तन, श्रेणी परिवर्तन होने वाले अभ्यर्थियों को पुनः आवंटन • प्रथम आवंटन में Choice Exhausted वाले आवेदकों को आवंटन • द्वितीय आवंटन के पश्चात नोडल केंद्र पर दस्तावेज जांच एवं रिपोर्टिंग फीस 1000/- जमा करना
संस्थान स्तर	तृतीय दौर	• प्रथम आवंटन, अपवर्ड मूवमेन्ट तथा द्वितीय आवंटन के पश्चात अंतिम रूप से आवंटित संस्था में उपस्थित होकर मूल प्रमाण पत्र एवं शेष फीस जमा करवाना
	चतुर्थ दौर	• द्वितीय दौर के आवंटन तथा रिपोर्टिंग के पश्चात रिक्त रही सीटों पर संस्थान स्तर पर इन्टरनल स्लाईडिंग
	पंचम दौर	• इन्टरनल स्लाईडिंग के बाद रिक्त रही सीटों पर संस्थान स्तर पर सीधे प्रवेश तथा प्रवेक्षित छात्र/ छात्राओं के दस्तावेजों का नोडल केंद्र पर सत्यापन

9. प्रवेश में आरक्षण के प्रावधानों का विवरण:

9.1 Category - A: पॉलिटेक्निक संस्थानों में निम्नानुसार ऊर्ध्वाधर (Vertical) आरक्षण निर्धारित है :

- अनुसूचित जाति (SC) के लिये 16 प्रतिशत
- अनुसूचित जनजाति (ST) के लिये 12 प्रतिशत
  (उपरोक्त 12% का 45% TSP क्षेत्र के आवेदकों हेतु आरक्षित है)
- अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिये 21 प्रतिशत
- अति पिछड़ा वर्ग (MBC) के लिये 5 प्रतिशत
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिये 10 प्रतिशत

नोट:

- *सह-शिक्षा पॉलिटेक्निक महाविधालयों में उपरोक्त सभी वर्गों में महिला अभ्यर्थी हेतु 30% क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation)* देय है |
- *अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमीलेयर), अति पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र आवेदन पत्र जमा करने की प्रारम्भिक तिथि से एक वर्ष से अधिक पुराना होने पर, इन श्रेणियों में आरक्षण का लाभ लेने के लिये निर्धारित प्रारुप, परिशिष्ट-III मे अन्डरटेकिंग देनी होगी | प्रमाण पत्र, राज्य सरकार के नियमानुसार इस अन्डरटेकिंग के साथ अधिकतम 3 वर्षों तक मान्य होगा ।*
- *आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का प्रमाण पत्र आवेदन पत्र जमा करने की प्रारम्भिक तिथि से एक वर्ष से अधिक पुराना होने पर, इन श्रेणियों में आरक्षण का लाभ लेने के लिये निर्धारित प्रारुप, परिशिष्ट- IV में अन्डरटेकिंग देनी होगी। प्रमाण पत्र, राज्य सरकार के नियमानुसार इस अन्डरटेकिंग के साथ अधिकतम 3 वर्षों तक मान्य होगा।*

9. 2 Category - B : भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिये आरक्षण

भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों हेतु 05 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) का प्रावधान किया गया है। इस श्रेणी में प्रवेश हेतु निम्न प्राथमिकता अनुसार प्रवेश दिया जाएगा।

Priority I: Widows/Wards of Defense Personnel killed in action.

Priority II: Wards of disabled in action and boarded out from service.

Priority III: Widows/Wards of Defence personnel who died while in service with death attributable to military service.

Priority IV: Wards of disabled in service and boarded out with disability attributable to military service.

Priority V: Wards of Ex-Servicemen and serving personnel who are in receipt of Gallantry Awards .

i. Param Vir Chakra

ii. Ashok Chakra

iii. Maha Vir Chakra

iv. Kirti Chakra

v. Vir Chakra

vi. Shaurya Chakra

vii. Sena, Nau Sena, Vayu Sena Medal

viii. Mention-in-Despatches.

Priority VI :Wards of Ex-Servicemen

Priority VII : Wives of :

i) Defence personnel disabled in action and boarded out from service.

ii) Defence personnel disabled in service and boarded out with disability attributable to military service.

iii) Ex-servicemen and service personnel who are in receipt of Gallantry

Awards.

Priority VIII : Wards of Serving Personnel.

Priority IX : Wives of Serving Personnel.

नोट:

- The domicile requirement for the wards of the defence personnel from the State of Rajasthan but serving in other State is waived off. For wards of defence personnel from other States but serving in the State of Rajasthan, the domicile condition is waived off to enable them to be selected in general quota. How ever, they would not be eligible for the above mentioned concessions.
- आरक्षण प्राप्त करने के लिये अभ्यर्थी परिशिष्ट-*V* में दिये गये प्रारुप में आवश्यक प्रमाण पत्र एवं Discharge certificate and Pension Payment Order के आवश्यक 2-3 मुख पृष्ठों की स्केन कॉपी आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करेगा। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत साक्षात्कार के समय Discharge Certificate and Pension Payment Order की मूल एवं इसकी एक स्व-प्रमाणित छाया प्रति भी प्रस्तुत करनी होगी।
- बी.एस.एफ., सी.आर.पी.एफ. व अन्य पुलिस कर्मियों की सन्तानों के लिये आरक्षण नहीं है। जनरल रिजर्व इन्जीनियरिंग फोर्स को सैनिक बल माना जायेगा।

9. 3 Category - C: दिव्यांग जन के लिये आरक्षण: (Horizontal Reservation) (PH)

9.3.1 राज्य के पॉलिटेक्निक संस्थानों में 40 प्रतिशत या उससे अधिक प्रतिशत दिव्यांगता वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों (PH) के उपलब्ध होने पर उनको प्रवेश क्षमता के पांच (5%) प्रतिशत स्थानों पर योग्यता क्रमांक के आधार पर प्रवेश दिये जायेगे। ये स्थान जिस श्रेणी का अभ्यर्थी है उसी श्रेणी के प्रवेश स्थानों में से क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) के अनुसार भरे जाएंगे |

9.3.2 उक्त आरक्षण का लाभ वे समस्त दिव्यांग ले सकेंगे जो पाठ्यक्रम के अनुरूप संबद्ध व्यवहारिक प्रशिक्षण की अर्हताएं भी पूरी करते हों। दिव्यांग अभ्यार्थी पाठ्यक्रम के अनुरूप संबद्ध व्यवहारिक प्रशिक्षण की अर्हताएं पूरी करता है अथवा नहीं, तथा वह किस ब्रान्च के योग्य है, इसका निर्णय संस्था स्तर पर गठित कमेटी द्वारा किया जायेगा। प्रवेश के संबंध में संयोजक, प्रवेश कमेटी का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

9.3.3 दिव्यांग (PH) अभ्यर्थी जो प्रवेश लेना चाहता है तो उस अभ्यर्थी को केंद्र सरकार के निम्न कार्यालय में स्वयः उपस्थित होकर अपनी निःशक्तत की जाँच करवानी होगी। फिर NCSC DA, Jaipur द्वारा डिप्लोमा की जिस ब्रांच के लिए अभ्यर्थी को पात्र माना जाता है ऐसे अभ्यर्थी सिर्फ उसी ब्रांच में प्रवेश के लिए पात्र होगे और उन्हें NCSC DA, Jaipur द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी आवेदन फॉर्म के साथ लगाना आवश्यक है।

National Career Service Centre for Differently Abled, Jaipur
4 SA 23, Surya Path Jawahar Nagar Jaipur – 302004

दिव्यांगों हेतु नेशनल करियर सर्विस सेंटर, जयपुर
4-स-23, सूर्य पथ , जवाहर नगर, जयपुर -302004
Contact Number: 0141-2652232
Email: vrc-jaip-rj@nic.in

9. 4 Category - D: विधवा एवं तलाकशुदा महिला के आरक्षण के प्रावधानः

महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में विधवा, तलाकशुदा महिला एवं अनाथ आश्रम में रहवासिनियों के उपलब्ध होने पर प्रवेश क्षमता के 10 प्रतिशत स्थान योग्यता के आधार पर भरे जावेगें। ये स्थान जिस श्रेणी की अभ्यर्थी है उसी श्रेणी के प्रवेश स्थानो में से क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) के अनुसार भरे जायेंगे।

9.5 Category - E एकल महिला के बच्चों/आश्रितों के लिये आरक्षण के प्रावधानः

राज्य सरकार द्वारा एकल महिला (अर्थात विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा, 35 वर्ष से ज्यादा उम्र की अविवाहित महिला) के बच्चों/आश्रितों के लिये 10 प्रतिशत स्थान आरक्षित है। यह आरक्षण क्षैतिज होगा। इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा। प्रमाण पत्र का प्रारूप परिशिष्ट-VI पर उपलब्ध है।

9.6 Category - F में प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त अधिसंख्य (Super Numerary) स्थानों पर प्रवेश के प्रावधानः

प्रथम वर्ष (प्रवेश सत्र 2024-25) में प्रवेश के बाद यदि KM,TFWS एवं OCI केटेगरी की सीटें खाली रही थी और प्राविधिक शिक्षा मण्डल, जोधपुर से प्राप्त सीट मैट्रिक्स में सत्र 2025-26 में द्वितीय वर्ष में इन केटेगरी की सीटों को खाली दर्शाया जाता है तो कश्मीरी विस्थापितों/ कश्मीरी पंडित/ कश्मीरी हिन्दु परिवार (अविस्थापित) के बच्चों को ,शिक्षण शुल्क मुक्ति योजना (TFWS) के अंतर्गत एवं विदेशी नागरिक / प्रवासी भारतीय नागरिक (OCI) / खाड़ी देशों में कार्यरत भारतीय श्रमिकों के बच्चों को इन खाली सीटों पर प्रवेश दिया जायेगा।

10. प्रथम आवंटनः

A, B, C, D, E तथा F श्रेणियों को ऑनलाइन सीट आंवटन के साथ ही सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को भी संस्था एवं ब्राचं का आवंटन उनके द्वारा भरे गये विकल्प पत्र (Option Form) में भरे गये विकल्पों की वरीयता के क्रम में योग्यता क्रमाकं एवं संस्थानों में श्रेणीवार उपलब्ध स्थानों के आधार पर कम्प्यूटर द्वारा किया जावेगा।

यह आवंटन पूर्णतया अन्तरिम (Provisional) होगा। ऐसे अभ्यर्थी जिन्हे विकल्प पत्र में प्रस्तुत विकल्पों में से सीट आवंटन नहीं होता है अर्थात choice exhausted हो जाती है, उन्हे स्वतः ही द्वितीय आवंटन में सम्मिलित कर लिया जाएगा।

प्रथम आवंटन में उपरोक्त सभी श्रेणियों के लिए महिला हेतु आरक्षित सीटें पहले महिला अभ्यर्थियों से, महिला अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर उसी वर्ग के पुरूष अभ्यर्थी से भरी जायेंगी। उपरोक्त में से किसी श्रेणी हेतु आरक्षित स्थानों पर योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर रिक्त स्थान योग्यता के आधार पर सामान्य अभ्यर्थी से भरे जाएंगे|

11. रिर्पोटिंग करने की प्रक्रिया:

प्रथम आवंटन के उपरान्त जिन अभ्यर्थियों को संस्था एवं ब्रांच आवंटित होती हैं, वे अभ्यर्थी / अभिभावक किसी भी नोडल सेन्टर पर निर्धारित अवधि में उपस्थित होकर मूल प्रमाण-पत्रों की जाचं करवायेगें तथा प्रवेश हेतु आंशिक शुल्क रूपये 1000/- ई-मित्र अथवा कौशल दर्पण पोर्टल पर दिए गए लिंक के माध्यम से पोर्टल पर जमा करवाना होगा। मूल प्रमाण पत्रों के अभाव में प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

रिर्पोटिंग के लिये अभ्यर्थी निर्धारित नोडल सेन्टर, जिनकी सूची सारणी – 1, विभागीय वेबसाईट तथा कौशल दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध हैं , में से किसी भी नोडल सेन्टर पर मूल प्रमाण पत्र व शुल्क रशीद के साथ रिपोर्ट कर सकेगा।

रिपोर्ट नहीं करने पर अभ्यर्थी का प्रवेश स्वतः ही रद्द हो जाएगा एवं उस स्थान को प्रवेश के आगामी चरणों में रिक्त स्थानों में सम्मिलित कर लिया जाएगा।

12. अपवर्ड मूवमेन्ट हेतु आवेदन करना:

प्रथम आवंटन में आवंटित स्थान से विकल्प पत्र में प्रस्तुत उच्च विकल्पों पर प्रवेश दिया जाने की प्रक्रिया अपवर्ड मूवमेन्ट कहलाती है । अतः प्रथम आवंटन में जिन अभ्यर्थियों को स्थान एवं ब्रांच आवंटित हो जाती है तथा वे उच्चतर विकल्प पर प्रवेश चाहते है, वे रिपोर्टिगं के दौरान अपवर्ड मूवमेन्ट हेतु निर्धारित प्रारुप में नोडल सेन्टर पर आवेदन कर सकते हैं एवं नोडल केंद्र इस सूचना का पोर्टल पर इन्द्राज करेंगे। अपवर्ड मूवमेन्ट के लिये आवदेन करने वाले अभ्यर्थियों को पुनः उच्च विकल्पों पर प्रवेश के लिये द्वितीय आवंटन में सम्मिलित किया जाएगा। अपवर्ड मूवमेन्ट होने पर अभ्यर्थी को पूर्व में किया गया आवंटन स्वतः ही रद्द हो जायेगा।

- **नोडल सेन्टर पर आवंटन रिपोर्ट करते समय मूल प्रमाण पत्रों की जाचं के दौरान अभ्यर्थी का श्रेणी या मेरिट परिवर्तन होता है या मूल दस्तावेज उपलब्ध नहीं है तो उन्हे प्रथम आवंटन में प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा |**
- **ऐसे अभ्यर्थी द्वितीय आवंटन में भाग लेने के लिए संयोजक को (नोडल पर रिपोर्टिंग के समय) प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं | प्रार्थना पत्र के साथ उचित दस्तावेज संलग्न करने पर उन्हे द्वितीय आवंटन में सम्मिलित कर लिया जायेगा ।**

13. द्वितीय आवंटन:

प्रथम आवंटन की रिर्पोटिंग के पश्चात रिक्त रहे स्थानों पर choice exhausted, मेरिट परिवर्तन, श्रेणी परिवर्तन और upward movement अभ्यर्थियों को द्वितीय आवटंन किया जायेगा।

द्वितीय आवंटन उपरान्त ऐसे अभ्यर्थी जिनको प्रथम बार सीट आवंटन हुआ है वे रिपोर्ट करने के लिये नोडल सेन्टर पर उपस्थित होंगे। रिर्पोटिंग की प्रक्रिया प्रथम रिर्पोटिंग की भांति ही रहेगी। जिन अभ्यर्थियों के अपवर्ड मूवमेन्ट के बाद द्वितीय आवंटन के कारण स्थान परिवर्तित होता है, उन्हे सीधे ही अंतिम आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्ट करना है, अन्यथा उनका प्रथम एवं द्वितीय आवंटन निरस्त हो जाएगा |

14. अंतिम आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्ट करना: - समस्त अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम एवं द्वितीय आवंटन में संस्थान एवं ब्रांच का आवंटन हुआ है तथा जिन अभ्यर्थियों के अपवर्ड मूवमेन्ट के बाद द्वितीय आवंटन के कारण स्थान परिवर्तित होता है उन्हे अंतिम आवंटित महाविद्यालय में मूल दस्तावेज एवं शेष शुल्क सहित निर्धारित अवधि में उपस्थित होना होगा। ऐसा नहीं करने पर उनका आवंटन रद्द हो जायेगा।

15. इन्टरनल स्लाईडिंग:

संस्थान स्तर पर की जाने वाली इन्टरनल स्लाईडिंग के तहत ऑनलाईन काउन्सलिगं के प्रथम एवं द्वितीय आवंटन तथा उसकी रिपोर्टिंग का कार्य पूर्ण होने पर संस्थान में प्रवेशित अभ्यर्थियों को अन्तर ब्रांच परिवर्तन का अवसर दिया जाएगा। इस हेतु ब्राचं वार रिक्त रहे स्थानों की गणना कर संस्थान स्तर पर प्राप्त आवेदनों की श्रेणी वार मेरिट बनाकर इन्टरनल स्लाईडिंग की जाएगी। शेष रहे स्थानों पर सामान्य मेरिट सूची बनाकर ब्राचं परिवर्तन किया जायेगा। स्ववित्त पोषित

ब्रांच में प्रवेशित अभ्यर्थी उसी संस्थान में उपलब्ध राज्य पोषित ब्रांच एवं राज्य पोषित ब्राचं वाले अभ्यर्थी उसी संस्थान में उपलब्ध स्ववित्त पोषित ब्राचं में परिवर्तन कर सकते है लेकिन इसके लिये नियमानुसार शुल्क देय होगा |

16. सीधे प्रवेश (Direct Admissions):

केन्द्रीय प्रवेश की समस्त प्रक्रिया उपरोक्तानुसार पूर्ण हो जाने के पश्चात संस्थानों में रिक्त रहे स्थानों के लिए संस्थान वार प्रवेश किये जाएंगे। इस हेतु निर्धारित आवदेन शुल्क जमा करवा कर आवदेन की प्रक्रिया दिशा निर्देशों के अनुसार की जायेगी। सीट आवंटन के लिये श्रेणी वार मेरिट बनाई जाकर व्यक्तिगत साक्षात्कार द्वारा आवटंन किया जायेगा। प्रत्येक संस्थान के लिये निर्धारित शुल्क (सारणी -2 के अनुसार) एवं मूल दस्तावेज संस्थान में प्रवेश के दौरान जमा करवाने होंगे।

17. अन्य सामान्य अनुदेश:

- प्रवेशित अभ्यर्थियों का नामांकन प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर द्वारा किया जाता है। इस हेतु अभ्यर्थी को अपना प्रवजन प्रमाणपत्र (Migration Certificate) प्रस्तुत करना होगा | अतः प्रवेश के साथ ही प्रवजन प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेवें, जिससे नामाकंन में परेशानी ना आवे। किसी अवस्था में विलम्ब के लिये संस्थान की अनुमति से परिशिष्ट- VIII में घोषणा पत्र प्रस्तुत करें।
- यदि अभ्यर्थी आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश ले लेता है तथा अब वह किसी कारणवश पाठ्यक्रम जारी नहीं रखना चाहता तो ऐसी स्थिति में नियमानुसार प्रवेश शुल्क/अवधान द्रव्य संबंधित संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा नियमानुसार लौटाया जायेगा।
- प्रवेश पाने वाले अभ्यर्थियों की मूल अंकतालिका (जिसके आधार पर उसने प्रवेश प्राप्त किया है) तथा आयु प्रमाणपत्र जमा कर लिये जाएंगे। ये प्रमाणपत्र छात्र/छात्रा द्वारा प्रथम वर्ष की परीक्षा के बाद, प्रधानाचार्य से प्राप्त किये जा सकते हैं।
- अभ्यर्थी प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर से नामांकित रहते हुए किसी अन्य मण्डल या विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे और न ही किसी अन्य विश्वविद्यालय में नामांकन रख सकेंगे।यदि किसी अभ्यर्थी के सम्बन्ध में ऐसी सूचना प्राप्त होती है तो उसका सम्बन्धित पॉलिटेक्निक महाविद्यालय से प्रवेश अविलम्ब निरस्त कर मण्डल से उसका नामांकन निरस्त कर दिया जायेगा।
- ऐसे अभ्यर्थी जिन्हे परीक्षा मे अनुचित साधन के उपयोग के कारण मडंल द्वारा दंडित किया गया हो / किया जाता है तो वे अभ्यर्थी नये प्रवेश के हकदार नहीं होंगे।
- यदि कोई विद्यार्थी गलत विवरण देकर या सूचना छुपाकर या योग्यता क्रम के आधार पर प्रवेश के योग्य न होने पर भी किसी कारण वश प्रवेश प्राप्त कर लेता है तो उक्त गलती के पता होने पर, चाहे छात्र उस समय किसी भी कक्षा में अध्ययन कर रहा हो, उस का प्रवेश रदद् कर दिया जायेगा।
- प्रवेश सम्बन्धी समस्त विषयों पर संयोजक, केन्द्रीय प्रवेश का निर्णय अन्तिम होगा। संयोजक को यह अधिकार है कि वह किसी भी अभ्यर्थी को बिना कोई कारण बताये प्रवेश देने से इंकार कर दे ।

- प्रवेश सम्बन्धी किसी भी प्रकार की वैधानिक कार्यवाही हेतु क्षेत्राधिकार, जयपुर शहर में स्थित न्यायालय में ही होगा अन्यत्र नहीं । विवाद बिन्दु के लिये वैधानिक कार्यवाही हेतु सम्मन एक माह के भीतर प्राप्त होना चाहिए।
- विद्यार्थी पर प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर के नियमों एवं विनियमों के अन्तर्गत दिये गये उपस्थिति, परीक्षा, अगले सेमेस्टर में रजिस्ट्रेशन आदि हेतु मण्डल के दिशा निर्देश लागू होंगे जिसकी प्रति उसे प्रवेश के समय दी जाएगी।
- अभ्यर्थी के नाम या उपनाम में अंतर होने की स्थिति में परिशिष्ट XI में शपथ पत्र आवेदन के साथ लगाना आवश्यक है|
- राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में तृतीय वर्ष में राज्य सरकार की नीति के अनुसार स्थानान्तरण पर विचार किया जायेगा।

18. छात्रावास की सुविधा एवं शुल्क:

18.1 राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय यथा जोधपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सिरोही, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, सवाईमाधोपुर व श्रीगंगानगर एवं महिला पॉलिटेक्निक अजमेर व बीकानेर में विद्यार्थियों हेतु छात्रावास की सीमित सुविधा उपलब्ध है । उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 18 सह-शिक्षा राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में भी छात्राओं हेतु अलग से छात्रावास की सुविधा उपलब्ध करवायी जा रही है।

18.2 छात्रावास में प्रवेश हेतु सम्बन्धित पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में उपस्थिति के समय, प्रधानाचार्य द्वारा आवटंन संबंधी कार्यवाही की जावेगी एवं प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी को सारणी-3 में दिये गये शुल्क की पहली किश्त जमा करानी होगी। द्वितीय किश्त प्रधानाचार्य द्वारा सूचित तिथियों को जमा करानी होगी|

18.3 छात्रावास का अवधान द्रव्य व मैस अग्रिम राशि के अतिरिक्त जमा कराई गई शुल्क की राशि वापस नहीं लौटायी जायेगी।

18.4 निजी एवं निजी सहभागिता योजना अन्तर्गत स्थापित पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में छात्रावास सुविधा की उपलब्धता व छात्रावास शुल्क के संबंध में संबंधित संस्था से सम्पर्क करें।

सारणी-1:नोडल केन्द्रों की सूची

क्र. स.	नोडल केंद्र का नाम	प्रधानाचार्य का नाम	फोन न.	मोबाईल न.
1	राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, अजमेर	श्री सुनील कुमार जैन	0145-2695195	94142-81377
2	राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, अलवर	श्री छगन लाल योगी	0144-2701645	94136-89678
3	राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, बागीदौरा	श्री सर्वेश श्रीमाली	-	88244-23664
4	राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, बांसवाड़ा	श्री विजय नागराज बोरसे	-	94141-04335
5	राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, बारां	श्री संजय बावेजा	-	94142-60754
6	राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, बाड़मेर	श्री कमाल पँवार		94148-09365
7	श्री गोकुल वर्मा राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, भरतपुर	श्री महेंद्र कुमार शर्मा	05644-297015	94145-85464
8	राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, भीलवाडा	श्री शिव प्रकाश तेली	01482-250111	94130-65745
9	राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, बीकानेर	श्री के. के. सुथार	0151-2542064	94132-78704
10	राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, बूंदी	श्री एम. सी. राजौरा	0747-2970026	94149-39323
11	राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, चित्तौड़गढ़	श्री बी. के. दइया	-	96029-80396
12	राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, चुरू	श्री रतीराम	01562-257794	82099 -03783
13	राजेश पायलेट राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, दौसा	श्री अशोक कुमार शर्मा	-	94142-40680
14	राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, धौलपुर	श्री हैलेन्द्र कुमार हरदेनिया	-	98876-98269 70141-54869
15	राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, डूंगरपुर	श्री प्रदीप मथुरिया	-	73598-79996
16	राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, हनुमानगढ़	श्री रमेश कुमार धानक	01552-260044	80945-05005
17	राजकीय रामचन्द्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज, जयपुर	श्री विनोद कुमार जाँगिड़	0141-2707829	9314503846
18	राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, जैसलमेर	श्री तुलसीराम मेघवाल	02992-251500	94139-92979
19	राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, जालौर	श्री नरपत कुमार जीनगर	-	80946-18101
20	राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, झालावाड़	श्रीमती राजुल गोयल	07432-233282	98290-48127
21	राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, झुंझुनू	श्री मोतीलाल आलदिया	01592-297007	94142-06263
22	राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, जोधपुर	श्री अजय माथुर	0291-2649439	94141-27272
23	राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, करौली	श्री मनीष कुमार जैन	-	94136-86695
24	राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, कोटा	श्री राजेश कुमार शर्मा	0744-2365538	94605-22290
25	राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, नागौर	श्री उम्मेद सिंह	01582-247505	94604-35577
26	राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, नीमराना	श्री विनय कुमार गर्ग	01494-299300	94143-64082
27	राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, पाली	श्री डी. के. दवे	-	70146-84388
28	राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, प्रतापगढ़	श्रीमती आसमा गौरी	01478-294573	99288-03700
29	राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, राजसमंद	श्री विवेक सक्सेना	-	94142-59460
30	राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, सवाई-माधोपुर	श्री मनोज कुमार सोनी	07462-220891	9414309702
31	राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, सीकर	श्री एम. एल. रोलन	01572-274020	99500-60626
32	श्री गोकुल भाई भट्ट राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, सिरोही	श्री बाबूलाल सिंगारिया	02972-222401	94145-44292
33	चौ. मालू राम भांभु राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, श्रीगंगानगर	श्री आर. के. टाँक	0154-2942700	94145-75825
34	राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, टोंक	श्री संदीप राय	-	99504-04805
35	राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, उदयपुर	श्री चंद्र शेखर टाक	-	94608-49825
36	राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, केलवाड़ा	श्री सज्जन सिंह बाजिया		80790-40149
37	राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, नांवा	श्री रामफूल मीणा		94146-20926

सारणी-2: डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु शुल्क (रुपयों में)

क्र. सं.	मद	राजकीय संस्था के राज्य वित्त पोषित पाठ्यकमों हेतु छात्रों से ली जाने वाली फीस		राजकीय संस्था के राज्य वित्त पोषित पाठ्यकमों हेतु छात्राओं से ली जाने वाली फीस		मद	राजकीय संस्था के राज्य वित्त पोषित पाठ्यकमों हेतु छात्रों से ली जाने वाली फीस	
		प्रथम किश्त प्रवेश के समय	दूसरी किश्त जनवरी में	प्रथम किश्त प्रवेश के समय	दूसरी किश्त जनवरी में		प्रथम किश्त प्रवेश के समय	दूसरी किश्त नवंबर में
1	राजकीय खाता : प्रवेश शुल्क (मात्र प्रवेश के समय)	200	--	200	--			
2	शिक्षण शुल्क	2075	2075	--	--	शिक्षण शुल्क	11000	11000
3	अराजकीय खाता: अवधान द्रव्य (मात्र प्रवेश के समय)	500	500	500	--	अवधान द्रव्य (मात्र प्रवेश के समय)	3750	3750
4	विविध व्यय (परिचय पत्र, पत्रिका शुल्क, ड्राईंग शुल्क व पुस्तकालय, बीमा शुल्क)	500	500	500	500			
5	पुस्तकालय खुली पुस्तकें (ओपन एक्सेस शुल्क)	500	500	500	500			
6	विद्यार्थी क्लब / विद्यार्थी सभा शुल्क	250	250	250	250			
7	खेलकूद शुल्क	250	250	250	250			
8	विकास शुल्क	2075	2075	2075	2075	विकास शुल्क	4400	4400
	कुल	**6350**	**6150**	**4275**	**3575**	कुल	**19150**	**19150**
	कुल वार्षिक शुल्क	**12500**		**7850**		कुल वार्षिक शुल्क	**38300**	

* राजकीय पॉलिटेक्निक के इंजिनियरिंग पाठ्यक्रम में प्रवेशित महिला/राज्य कर्मचारियों के आश्रित, जो आयकर नहीं देते/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों से शिक्षण शुल्क नहीं लिया जायेगा।

नोट:

1. उक्त शुल्क में परिवर्तन की सम्भावना है। यदि शुल्क में परिवर्तन किया जाता है तो तदनुसार शुल्क जमा करवाना होगा।
2. निजी जन सहभागिता योजनान्तर्गत संचालित महिला पॉलिटेक्निक हेतु शुल्क निजी संस्थाओं के अनुरूप ही होगा।
3 राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में संचालित स्व-वित्त पोषित पाठ्यक्रमों हेतु शुल्क निजी संस्थाओं के अनुरूप ही होगा।
4. अवधान द्रव्य राशी, जो पाठ्यक्रम की समाप्ति या संस्था छोड़ने पर लौटा दिये जायेंगे।
5. सीट-आवटंन पश्चात् अभ्यर्थी को उपरोक्तानुसार अंकित शुल्क में से केवल आंशिक शुल्क रू. 1000/- (प्रक्रिया शुल्क) जमा करवाना होगा तथा शेष शुल्क राशी नकद के रूप में अंतिम आवंटित महाविद्यालय में जमा करानी होगी।
6. विभिन्न प्रावधानों के तहत शिक्षण शुल्क में छूट के लिये आवश्यकतानुसार परिशिष्टि- I एवं II प्रस्तुत करें।

सारणी-3: छात्रावास शुल्क

क्र. स.	मद		राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान	
			प्रथम किश्त	द्वितीय किश्त
1	2		3	4
			(क)राजकीय खाता	
1	कमरे का किराया	01 सीटेड	1600	1600
		02 सीटेड	1000	1000
		03 सीटेड	600	600
		04 सीटेड	--	--
			(ख)अराजकीय खाता	
2	छात्रावास का अवधान द्रव्य		2000	---
3	छात्रावास मैस खर्च अग्रिम		1500	---
4	छात्रावास मैस सिक्युरिटी		---	---
5	पानी के खर्च का शुल्क		*	*
6	बिजली के खर्च का शुल्क		*	*
7	सामान्य कोष्ठ शुल्क		500	500
8	उपकरण व बर्तनों के क्रय व मरम्मत शुल्क		800	800
9	कॉमन रूम (यदि उपलब्ध हो तो)		300	300
10	वार्डन एवं वॉचमैन सुविधा शुल्क		500	500

* बिजली व पानी का शुल्क छात्रावास में स्थित मीटर के आधार पर बिल की राशि को सभी छात्रों मे समान रूप से बांटकर वसूल किया जायेगा।

नोटः

उक्त शुल्क में परिवर्तन की सम्भावना है अतः जमा कराई जाने वाली फीस व छात्रावास सुविधा के सम्बन्ध में अन्तिम सूचना संबंधित प्रधानाचार्य से प्राप्त करें|

सारणी-4: Diploma Lateral Entry Level Qualification 10+2 Level

Sr.No,	BRANCH	MANDATORY COURSES AT 12th LEVEL	OTHER RELEVANT COURSE
1	CHEMICAL ENGINEERING	Phy,Chem,Maths	NA
2	CIVIL ENGINEERING	Phy,Chem,Maths	NA
3	CIVIL(CONSTRUCTION)	Phy,Chem,Maths	NA
4	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING	Phy,Maths	Select any one course out of 14 courses mentioned below
5	ELECTRICAL ENGINEERING	Phy,Maths	Select any one course out of 14 courses mentioned below
6	ELECTRONICS ENGINEERING	Phy,Maths	Select any one course out of 14 courses mentioned below
7	ELECTRONICS (FIBRE OPTICS)	Phy,Maths	Select any one course out of 14 courses mentioned below
8	ELECTRONICS (ROBOTICS)	Phy,Maths	Select any one course out of 14 courses mentioned below
9	MECHANICAL ENGINEERING	Phy,Chem,Maths	NA
10	MECHANICAL (AUTOMOBILE)	Phy,Chem,Maths	NA
11	MECHANICAL (PRODUCTION)	Phy,Chem,Maths	NA
12	MECHANICAL(RAC)	Phy,Chem,Maths	NA
13	MINING ENGINEERING	Phy,Chem,Maths	NA
14	PRINTING TECHNOLOGY	Phy,Chem	Select any one course out of 14 courses mentioned below

1. Physics
2. Mathematics
3. Chemistry
4. Computer science
5. Electronics
6. Information technology
7. Biology
8. Information practices
9. Biotechnology
10. Technical vocational subject
11. Agriculture
12. Engineering Graphics
13. Business studies
14. Entrepreneurship